

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर  
पत्रांक- 3598/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, फरवरी 22 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत में रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्ष की लीज (दिनांक-21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिए) दी गई 61.2348 हे० वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भ:-

1-विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ का पत्र संख्या- 167(1)/81-2-2017-911/1992 लखनऊ दिनांक- 05.02.2021  
2- आपका पत्रांक- 1928/11-सी लखनऊ दिनांक- 05.02.2021

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ के संदर्भित पत्र दि० 05.02.2021 द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट, ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या-2729/रेनुकूट/15-31 दिनांक 11.02.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा बिन्दुवार सूचना/अभिलेख टेबुलर फार्म में निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

क्र० सं०	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ का पत्र संख्या- 167(1)/81-2-2017-911/1992 लखनऊ दिनांक- 05.02.2021 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की अदायगी उ०प्र० ई-स्टाम्प नियमावली 2013 के प्रावधानों के अधीन ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र खरीद कर की जा सकती है। इसके लिए ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु वर्तमान में अधिकृत संस्था स्टाक होल्डिंग के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त विधियों के माध्यम से विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क की धनराशि अदा की जाय। तदनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प सोनभद्र द्वारा अपने पत्रांक- 235/स०म०नि०-सोन०/2020 दिनांक-13.10.2020 द्वारा रु० 66,62,347/- की स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण किया गया। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी रु० 66,62,347 /-अधिकृत स्टाक होल्डिंग के माध्यम से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक- 06.02.2021 को जमा करते हुए उससे संबंधित पत्र व ई-स्टाम्प की छाया प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसकी छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत मामले में प्रेषित उपरोक्त बिन्दु की आख्या एतदसह संलग्नकर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)  
मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या 3598 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय के पत्र संख्या-2730/रेनुकूट/15-31 दिनांक 11.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)  
मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र) ।

पत्रांक : 2729 / रेनुकूट / 15-31 रेनुकूट, दिनांक, फरवरी, 11, 2021  
सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र  
मीरजापुर ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत में रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्ष की लीज (दिनांक-21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिए) दी गई 61.2348 हे० वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भ:- 1-विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ का पत्र संख्या- 167(1)/81-2-2017-911/1992 लखनऊ दिनांक- 05.02.2021  
2-मुख्य वन संरक्षक/नॉडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक- 1928/11-सी लखनऊ दिनांक- 05.02.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में उ०प्र० शासन के संदर्भित पत्र दिनांक- 05.02.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में अनुपालन आख्या निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ का पत्र संख्या- 167(1)/81-2-2017-911/1992 लखनऊ दिनांक- 05.02.2021 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	<p>प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की अदायगी उ०प्र० ई-स्टाम्प नियमावली 2013 के प्रावधानों के अधीन ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र खरीद कर की जा सकती है । इसके लिए ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु वर्तमान में अधिकृत संस्था स्टाक होल्डिंग के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है ।</p> <p>इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त विधियों के माध्यम से विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क की धनराशि अदा की जाय । तदनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प सोनभद्र द्वारा अपने पत्रांक- 235/स०म०नि०-सोन०/2020 दिनांक-13.10.2020 द्वारा रु० 66,62,347/- की स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण किया गया । निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी रु० 66,62,347/-अधिकृत स्टाक होल्डिंग के माध्यम से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक- 06.02.2021 को जमा करते हुए उससे संबंधित पत्र व ई-स्टाम्प की छाया प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसकी छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।</p>

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में ।

भवदीय

(एम०पी०सिंह)

✓ प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

1- प्रतिलिपि: सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प सोनभद्र को उनके पत्रांक- 235/स०म०नि०-सोन०/2020 दिनांक-13.10.2020 व पत्रांक- 40/स०म०नि०-सोन०/2020 दिनांक- 08.02.2021 के क्रम में ।

2- प्रतिलिपि: श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट -सोनभद्र को उनके पत्र दिनांक- 08.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एम०पी०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

4334  
33

15-2-2021

प्रेषक,

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/  
सहायक आयुक्त स्टाम्प,  
सोनभद्र।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट,  
सोनभद्र।

पत्रांक :- 235 /स0म0नि0-सोन0/2020

दिनांक :- 13-10-2020

विषय :- जनपद सोनभद्र में रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल वार्ड के निर्माण हेतु वन विभाग द्वारा विभिन्न लीज डीड के माध्यम से विभिन्न वर्षों के लिए लीज पर दी गयी वन भूमि की लीज डीड पर स्टाम्प देयता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-984 अ/सम दिनांक 26.09.2020 व पत्र सं0-900, 901, 902 व 924 /रेनुकूट/15-31 दिनांक 21.09.2020 व उप निबन्धक दुद्धी को प्रेषित पत्र सं0-05/रेनुकूट/15-31 दिनांक 01.07.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभिन्न लीज डीड पर स्टाम्प देयता के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी थी। परन्तु आपके पत्र के साथ लीड डीड का कोई विलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस कार्यालय के पत्र सं0-188/स0आ0स्टा0-सोन0/2020 दिनांक 16.09.2020 द्वारा सम्बन्धित लीज डीड विलेख को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक 13.10.2020 को डिप्टी रेंजर द्वारा 04 लीज विलेख उपलब्ध कराये गये हैं, जिनका सम्यक् परीक्षण किया गया, सम्यक् परीक्षण के बाद उपलब्ध करायी गयी विभिन्न 04 लीज विलेखों में जो तथ्य वर्णित किये गये हैं, उसके अनुसार आप द्वारा उपलब्ध कराये गये लीज विलेख भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा-2(16) से आच्छादित है जिस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1ख के अनुच्छेद 35 के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय होता है, जिसके अनुसार विभिन्न चारों लीज विलेखों पर निम्नवत् स्टाम्प शुल्क देय होगा।

1- पट्टा विलेख जो महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रथम पक्ष व मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड रेनुकूट के मध्य निष्पादित है, जो वर्ष 2009 से 2019, 10वर्षों के लिए दिया गया है जिसमें वार्षिक किराया 1,10,22,264.00रु० निर्धारित है तथा 12,24,69,600.00रु० का प्रिमियम निर्धारित किया गया है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1ख के अनुच्छेद-35 के अनुसार औषत वार्षिक किराये के 04गुने अर्थात् 4,40,89,056.00रु० व प्रिमियम की धनराशि 12,24,69,600.00रु० के योग पर 04प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय होगा। उपरोक्त के अनुसार उक्त पट्टा विलेख का कुल मूल्य 16,65,58,656.00रु० होता है। जिस पर 04प्रतिशत की दर से 66,62,347.00रु० का स्टाम्प शुल्क देय होगा।

॥

(2)

2-पट्टा विलेख जो महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रथम पक्ष व मेसर्स उ०प्र०रा०वि०प० (उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्मिशन कारपोरेशन लिमिटेड वाराणसी) के मध्य निष्पादित है, जो वर्ष 1994 से 2014, 20वर्षों के लिए दिया गया है जिसमें वार्षिक किराया 2,42,892.00रु० निर्धारित है तथा 24,28,920.00रु० का प्रिमियम निर्धारित किया गया है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1ख के अनुच्छेद-35 के अनुसार औषत वार्षिक किराये के 05गुने अर्थात् 12,14,460.00रु० व प्रिमियम की धनराशि 24,28,920.00 के योग पर 04प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय होगा। उपरोक्त के अनुसार उक्त पट्टा विलेख का कुल मूल्य 36,43,380.00रु० होता है। जिस पर 04प्रतिशत की दर से **1,45,736.00रु०** का स्टाम्प शुल्क देय होगा।

3- पट्टा विलेख जो महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रथम पक्ष व उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०)के मध्य निष्पादित है, जो वर्ष 1989 से 2019, 30वर्षों के लिए दिया गया है जिसमें वार्षिक किराया 17,733.00रु० निर्धारित है भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1ख के अनुच्छेद-35 के अनुसार औषत वार्षिक किराये के 06गुने अर्थात् 1,06,398रु० पर 04प्रतिशत की दर से **4,256.00रु०** का स्टाम्प शुल्क देय होगा।

4- पट्टा विलेख जो महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रथम पक्ष व जामा मस्जिद मैनेजिंग कमेटी, मिर्जापुर के मध्य निष्पादित है, जो वर्ष 1976 से 2006, 30वर्षों के लिए दिया गया है जिसमें वार्षिक किराया 1.00रु० निर्धारित है भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1ख के अनुच्छेद-35 के अनुसार औषत वार्षिक किराये के 06गुने अर्थात् 06.00रु० पर 04प्रतिशत की दर से **0.24रु०** परन्तु न्यूनतम **100रु०** का स्टाम्प शुल्क देय होगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी लीज विलेख एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए हैं। अतः भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा-17 के अनुसार सभी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के समय स्टाम्प शुल्क देयता हेतु निर्धारित धनराशि पर एक प्रतिशत की दर से रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देय होगा, साथ में यह भी अवगत कराना है कि किसी भी विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क किसी बैंक में जमा नहीं होता है, बल्कि किसी भी विलेख पर स्टाम्प शुल्क विलेख की निष्पादन की तिथि को या उसके पूर्व अदा करना होता है, वर्तमान में विलेख निष्पादित करते समय ई-स्टाम्प या नान ज्यूडिसियल फिजिकल स्टाम्प लेकर विलेख को निष्पादित कर पंजीकृत कराया जा सकता है।

R  
17.10.2020

L.T  
आयुक्त

13/10/20



(भगवान सिंह)

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/  
सहायक आयुक्त स्टाम्प,  
सोनभद्र।






सत्यमेव जयते

**INDIA NON JUDICIAL**  
**Government of Uttar Pradesh**

**e-Stamp**

**Certificate No.** : IN-UP32543688439777T  
**Certificate Issued Date** : 09-Feb-2021 02:54 PM  
**Account Reference** : NEWIMPACC (SV)/ up14122904/ SONBHADRA/ UP-SNB  
**Unique Doc. Reference** : SUBIN-UPUP1412290455617565730496T  
**Purchased by** : HINDALCO INDUSTRIES LIMITED  
**Description of Document** : Article 35 Lease  
**Property Description** : FOREST LAND 61.2348 HECT.TAHSIL-DUDHI,DISTRICT-SONEBHADRA  
**Consideration Price (Rs.)** :  
**First Party** : C C F ON BEHALF OF GOVERNOR OF UTTAR PRADESH  
**Second Party** : HINDALCO INDUSTRIES LIMITED  
**Stamp Duty Paid By** : HINDALCO INDUSTRIES LIMITED  
**Stamp Duty Amount(Rs.)** : 66,62,347  
(Sixty Six Lakh Sixty Two Thousand Three Hundred And Forty Seven only)



**Signature**.....

**ACC Name - Jai Nrayan, ACC**

**Code - UPECOLUP14122904**

**ACC Add- Dudhi, Sonebhadra**

**Mobile- 9839778373**

**License No- 119**

**Tehsil - Dudhi, Sonbhadra**

.....Please write or type below this line.....

**Vivek Kumar**  
**Head-Legal**

**RS 0001545984**

**Statutory Alert:**

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.